**ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA**
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 198-200**

**I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)**
**e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)**
**Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026**

# नया भारत और पुरानें कानून की सामाजिक चुनौतियां

**डॉ0 रामाश्रय यादव**

एसोसिएट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग,गंगा गौरी पी०जी० कालेज, रामनगर– बैजावारी, आजमगढ़ (उ0प्र0) भारत

**Received-19.05.2026, Revised-26.05.2026, Accepted-02.06.2026,** **E-mail:ramashrayayadav1975@gmail.com**

***सारांशः भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, जिसमें विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों एवं बहुल जातियों के लोग एक साथ निवास करते हैं। अर्न्तराष्ट्रीय विकसीत देशों में प्रतिस्पर्धा के साथ भारत का उनके बीच क्या स्थान है, भारत की कानून व्यवस्था समाज और संस्कृति विकसीत देशों की कानून व्यवस्था समाज और संस्कृति में अन्तर क्या है, दुनिया के लगभग 80 प्रतिशत देश स्वतन्त्रता की व्यवस्था में जीवन गुजार रहे है।***

***कुंजीभूत शब्द– नया भारत, पुरानें कानून, सामाजिक चुनौतियां, प्रजातांत्रिक देश, प्रतिस्पर्धा, कानून व्यवस्था, समाज और संस्कृति, न्याय।***

**प्रस्तावना–** आज भारत के लोग सामाजिक समस्याओं और मानसिक तनावों के कारण जीवन गुजार रहे हैं। इस स्थिति का कारण क्या हैं ? इस विषय पर अध्ययनकर्ता ने भारत के लोगों की सामाजिक समस्याओं पर गहनता से विचार–विमर्श और अध्ययन और चिन्तन किया, तो पाया कि भारत का पुराना कानून अथवा अग्रेजों का बनाया गया कानून– व्यवस्था की एक ऐसी मकड़जाल है, कि जिसमें भारत के लोग पुरी तरह से उलझे हुए है। इससे उबर नहीं पा रहे है और उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक विकास नहीं हो रहा है। इसका सीधा कारण सामाजिक समस्याएं जैसे सुरक्षा, न्याय, बेरोजगारी, अपराध, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, साईबर अपराध, श्वेत– वसन अपराध, मानव आधिकार का उल्लंघन आतंकवाद, नक्सलवाद, घुसपैठ, निर्धनता एवं जनसंख्या– विस्फोट आदि हैं। भारत में इन समस्याओं का निदान करना बड़ा कठिन है, क्योंकि इनके पीछे भारत में अग्रेजों द्वारा बनाये गये कानून हैं। भारत के संवैधानिक व्यवस्था के लचीलापन से ये भ्रष्टाचार फल– फूल रहे हैं।

**प्रजातंन्त्र में कानून का महत्व–** प्रजातंत्र में कानून ही शासन की नींव है, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और सभी के साथ– समान व्यवहार सुनिश्चित करता है और कानून का उल्लंघन करने वालों को दण्ड भी देता है। कानून समाज में व्यवस्था और सुरक्षा बनाये रखने में मदद करता है। आज हमारे देश में समाज के सामने अनेंक समस्याएं विद्यमान है। मगर उनका सही, सटीक कानून के अभाव में निदान नहीं किया जा सकता।

आज भारत की 1 करोड़ जनता के सामने निम्नलिखित सामाजिक समस्याएं व्यक्ति समस्या–सुरक्षा में विफलता, भ्रष्टाचार कोर्ट के न्यायिक फैसले में देरी, झूठी–गवाही, झूठे– मुकदमें, भ्रष्ट–पुलिस व्यवस्था, जमीनों पर अवैध कब्जे, भ्रष्ट न्यायालय आदी के कारण लाखों करोड़ों लोगों का जीवन टेंशन, चिन्ता, तनाव में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें समय से न्याय नहीं मिलता है। न्याय मिलने में और मुकदमें लड़ने में एक पिढी बित जाती है, फिर भी उन्हें सही न्याय नहीं मिलते है। कोर्ट में समय की बर्बादी और उन्हें तारीख पर–तारीख मिलती रहती है।

कौटिल्य– ने लिखा है ''सामाजिक कल्याण (लोक कल्याण) का मुख्य उद्देश्य प्रजा की खुशी और (योगक्षेम) सुनिश्चित करना था ''राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है'' और राज्य का कर्तव्य केवल रक्षा करना ही नहीं, बल्कि सामाज का बुनियादी ढाँचा जैसे– सड़कें सिचाई, सार्वजनिक सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा गरीबों के लिए संसाधन प्रदान करना है।[1]

प्रजातंत्र में कानून का शासन स्थापित किया जाता है, जहाँ कोई भी व्यक्ति या सरकार कानून से ऊपर नहीं होती है। कानून नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते है। एक निष्पक्ष और व्यवस्थित समाज सुनिश्चित करते हैं और सरकार की शक्ती को सीमित करके जबाबदेही तय करते है। कानून सभी के लिए समान होते हैं, जो नागरिकों पर कानून का शासन, अधिकारों की रक्षा, समानता और न्याय, व्यवस्था और सुरक्षा, सरकार शक्ति पर सीमा और कानून के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है।

**अध्ययन का औचित्य–** अध्ययनरत समस्या से सम्बद्ध शोधकार्य विशुद्ध रूप से एक आनुभविक अध्ययन है, जो कि शोधकर्ता के प्राथमिक खोज पर आधारित है। प्रस्तुत समस्या का अध्ययन समाज और कानून के क्षेत्र से सम्बंधित है, जिसका वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्व है। इस शोधपत्र में कानून के संवैधानिक उल्लेखों का सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पहलू का भारत की प्रजातंत्र की दशा एवं दिशा का उल्लेख किया गया है।

1. सैद्धान्तिक दृष्टि से भविष्य में होने वाली कठोर कानूनी परिवर्तनों से देश के विकास के सन्दर्भ में सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य क्या प्राप्त हो सकेगा।
2. व्यवहारिक दृष्टि से भविष्य होने वाली कानूनी कार्यवाहियों से क्या समाज–सुधार समस्याओं का निदान व समाज–कल्याण स्थापित होगा।

स्वतंन्त्रता के पहले भी ये समस्याएं थी। उस समय कोई संवैधानिक व्यवस्था नही थी। भारत के आजाद होने के बाद और संविधान लागू होने पर भी ये समस्याएं आज तक चली आ रही हैं। भौतिक वस्तुओं व विज्ञान के क्षेत्र में अनेक रिर्सच हुए विभिन्न प्राकृतिक विषयों एवं सामाजिक विषयों के निम्नलिखित सिद्धान्तों का निर्माण हुआ हमारे देश की सामाजिक समस्याएं जैसे– उचित न्याय व्यवस्था, कोर्ट के न्यायिक फैसले, झूठी गवाही, झूठे मुकदमें, भ्रष्टाचार, जमीनों पर अबैध कब्जे, भ्रष्ट–पुलिस व्यवस्था, भ्रष्ट–राजनीतिक व्यवस्था, भ्रष्ट– कर्मचारी व्यवस्था, भ्रष्ट– व्यवसायी व्यवस्था, भ्रष्ट– रोजगार देने की व्यवस्था आदि पर आज तक कोई मनोवैज्ञानिक शोध–कार्य नहीं किया गया और न ही कोई इसके नियन्त्रण के लिए पारदर्शक कानून बनाये गये, ताकि इन समस्याओं का निदान हो सके।

प्रजातन्त्र का असली रूप क्या है? भ्रष्टाचार राष्ट्रवाद के लिए भरतीय समाज के लोगों मे कितना प्रेम झलकता है इसी सदर्भ में पित्रिम सोरोकिन ने लिखा है, की ''आज हमारे जीवन का हर पहलू, हर–संगठन, प्रत्येक संस्था और सम्पुर्ण संस्कृति एक अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही है। समाज का बाहरी ढाँचा और आन्तरिक मानस रोगग्रस्त है इस सामाजिक शरीर का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा मिले जो सुजा हुआ और घायल न हो शायद ही कोई ऐसा स्नायु मिले, जो सही ढंग से अपना कार्य कर रहा हो।''[2]

आज कोई अधिकारी, कर्मचारी, नेता–प्रधानमन्त्री, मुख्य–मंत्री सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह की किसी भी समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया और सरकार का कोई भी कानून इस समस्या पर प्रभावी नहीं हुआ, कानून तो भारत की संसद में नेताओं द्वारा अपने फायदे

**अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

के लिए बनाये जाते है उनका जनता से कोई लेना–देना नहीं होता है वे जनता को अपना सिर्फ वोट बैंक समझते है चुनाव आने पर तरह–तरह का प्रलोभन, अबैध सामग्री का प्रयोग करके जैसे– रूपये, शराब, ठीके लाइसेन्स आदि देकर वोट प्राप्त कर लेते है फिर कानून का उल्लंघन करते है और इसके लचीलेपन का फायदा उठाकर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करते है आज भारत के दशा और दिशा के प्रति किसी भी जनसेवक और जनप्रतिनिधि के दिल दिमाग में राष्ट्र–प्रेम की भावना नहीं हैं।

विकसीत देशों की श्रेणी में भारत का क्या स्थान है ? इधर देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है सरकार द्वारा उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया इसी दुर्व्यवस्था के कारण भारत के वातावरण में हानिकारक गैसें, जैसे– मीथेन (CH4) क्लोरोफ्लोरो–कार्बन (CFCS) कार्बनमोनो आक्साईड (C02) और नाइट्रोजन आक्साईड (HO2) स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहीं है लोगों का जीवन जीना कठिन सा हो गया है, गन्दे–पर्यावरण के कारण भारत के लोगों की औसत आयु लगातार–घट रही है। दिल्ली में लोगों के स्वास्थ्य के प्रति आक्सीजन नहीं मिल पा रही है। जनसंख्या के अधिकता के कारण अर्थव्यवस्था फेल हो रही है। गरीब व सामान्य व्यक्तियों का जीवन जीना कठिन हो गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार की सफलता का सपोर्ट पुराने अग्रेजों के जमाने के कानून व्यवस्था होने के कारण भ्रष्टाचार आज चरम सीमा है जापान, सिगापुर, कोरिया, चाईना, अमेरिका में भारत के जैसे भ्रष्टाचार नहीं है, वहाँ स्वस्थ प्रजातंत्र लागू है। इसलिए भारत के बड़े लोग विदेशों में पलायन कर रहे है। भारत के कानून व्यवस्था का फिल्मों में मजाक उड़ाया जा रहा है और उसका सही चरित्र– चित्रण किया जाता है। भारत की समस्याओं का समाधान संविधान की शपथ लेने वाले नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्रीं, सर्वोच्च न्यायालय के जज ही कर सकते है, अगर इस समय इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो भारत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, वही हाल होगा जो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगास्तिान का हो रहा है।

इसलिए कानून ही सुनिश्चित करता है कि बुनियादी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ– साथ नागरिक स्वतंत्रता की भी रक्षा की जाय, क्योंकि आज के समय में भारत के गावों में जमीनों के अवैध कब्जे जैसी गम्भीर समस्या ऊभर पड़ी है, जिसके कारण सिविल को कोर्ट और हाई–कोर्ट में लाखों करोड़ों मुकदमें चल रहे है। मुकदमें लडनें वाले लोगों का जीवन तनाव में गुजर रहा है और इसी बारे में लाखों–करोड़ों हत्याएं हो रही है, महिलाएं विधवा हो रही है और बच्चे अनाथ हो रहे है, क्योंकि बाहुबली व्यक्ति गरीबों की जमीनें हड़प रहे है। आर्थिक कमजोरी और दुर्बलता के कारण गरीब व्यक्ति उनका मुकाबला करने में विफल है और दबंग– बाहुबली व्यक्ति लचीले कानून का फायदा उठाकर जमीन हड़पनें और हत्या करने में सफल रहे हैं। यह समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है यह आज की बहुत बडी समस्या है, क्योंकि गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और न्याय पाने चक्कर में कई पिढ़ियां गुजर जा रही है।

**भारत में ब्रिटिश कानूनों का प्रभाव–** भारत में आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो ब्रिटिश संविधान और अग्रेंजो द्वारा बनाये गये कई कानूनी और सिद्धान्तों को अपनाया गया था, जिसमें न्याय–प्रणाली में कई धाराएँ शामिल है जो निम्नलिखित है जैसे– भारतीय दण्ड संहिता– 1860, 1861 भारतीय साक्ष्य आधिनियम– 1872, आपराधिक प्रक्रिया संहिता– 1973 जैसे प्रमुख अधिनियम शामिल है, ये कानून आज के भारतीय संविधान में न्याय– प्रणाली के रूप में काम करते है। उस समय भारत में अंग्रेजी कानून बनाने का उद्देश्य अग्रेजों को अपने व्यवसायिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित करना अपनी शक्ति को बनाये रखना और भारत के शासन को व्यवस्थित करना था। इन कानूनों ने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट– इण्डिया कम्पनी को भारत के उपर नियन्त्रण रखने और धन और संसाधन का दोहन करने, स्थानीय विरोध को दबाने तथा एकीकृत कानूनी और प्रशासनिक ढाँचा बनाने में मदद की। महात्मा गाँधी ने भारत में ऐसे कानूनों की वकालत की जो न्यायपूर्ण, मानवीय और अहिंसक हो उन्होंने अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानून (जैसे– रौलेट एक्ट विरोध करने और नमक कानून का तथा लोगों की सविनय अवज्ञा (non-Vialent Civil disobedience) के माध्यम से अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया।[3]

महात्मा गाँधी ने अपनी पुस्तक हिन्द– स्वराज में पश्चिमी सभ्यता की आलोचना और आत्मनिर्भर भारतीय स्वशासन की मांग की थी और 1916 में गाँधी के वैचारिक धारणा को लेकर लोकमान्य तिलक और एनीबेसेन्ट द्वारा शुरु किया गया होमरूल आन्दोलन, डोमिनियन स्टेटस (अधिराज्य स्थिति) यानी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करने का एक राजनीतिक प्रयास था। गाँधीजी ने ब्रिटीश कानूनों को भारतीयों के शोषण का एक माध्यम मानते है और एक ऐसी भारतीय व्यवस्था चाहते है, जो नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित हो। आज भारत में यही पुराने ब्रिटिश कानूनों का प्रभाव उपर्युक्त निम्नलिखित समस्याओं के जिम्मेदार है, जो आम नागरिकों के प्रजातन्त्र की उचित न्याय– व्यवस्था, सुरक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, गुलामी, आर्थिक शोषण, घुसपैठ, गरीबी, अकाल, कुपोषण उद्योगों का विनाश, कृषि का व्यवसायीकरण और साम्प्रदायिक तनाव जैसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण देश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है।

भारत के लचीले कानूनों और सड़ी हुई न्याय–व्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पर बढ़ गया है कि इसके परिणाम तरह–तरह के अपराध के रूप में देखे जा रहे है और अपराधी अपने उद्देश्यों में सफल हो जाते है सदरलैण्ड का कथन है कि ''भ्रष्टाचार की स्थिति में दण्ड देने वाला व्यक्ति भी अपराधों की उच्च सामाजिक स्थिति तथा बड़े–बड़े आधिकारियों और मन्त्रीयों तक से उनकी सांठ– गांठ देखकर उन्हें दण्ड देने का साहस नहीं कर पाते।''[4] कानून के पुक्ता सबूत जुटाने और गवाह खड़ा करके गवाही दिलवाने में पीड़िता व्यक्ति इतना टूट जाता है कि वह अपराधियों के सामने खडा नहीं हो पाता सदरलैण्ड ने भ्रष्टाचार और अपराध के दोषी गरीब, वंचित वर्ग न मानकर समाज के प्रतिष्ठित और उच्च वर्ग के लोगों को मानते हैं।

सुपरिभाषित कानूनों के द्वारा व्यक्तिगत व्यवहारों की विवेचना करना आवश्यक समझा जाने लगा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गवाहियों पर आधारित एक औपचारिक न्याय व्यवस्था को लागू किया तथा शासन के प्रत्येक स्तर पर बड़े–बड़े अधिकारियों और सामान्य कर्मचारियों को नियुक्त करके उन्हें इतने आधिकार दे दिये गये कि वे अपने क्षेत्र के जनजीवन को नियमित रख सके लोकतन्त्र का यही प्रकार्य (Functions) कुछ समय बाद इस व्यवस्था के लिए अकार्य (Dys Functions) बन गये पहले अधिकार सम्पन्न व्यक्यिों ने अपने अधिकारों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करना आरम्भ किया और बाद में समाज के दूसरे वर्गो ने उनका अनुकरण करना शुरु कर दिया। आज स्थिती यह कि प्रत्येक राजनीतिज्ञ, प्रशासक, व्यापारी, व्यवसायी तथा सामान्य व्यक्ति दूसरे की कर्तव्यहीनता को जानता है लेकिन स्वंम भ्रष्ट होने के कारण दूसरे का विरोध करने में असहाय है। फलस्वरूप कानून टूट रहे है, मर्यादाएँ नष्ट हो रही है, नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं रह गया है तथा प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट साधनों के द्वारा अधिक से अधिक धन और संसाधनों के संचय में लगा है, जो आज भारतीय समाज की विसमता है।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

**अध्ययन का उद्देश्य–** यह शोध– पत्र निदानात्मक प्रकृति का है। भारत सरकार को चाहिए कि भारतीय संविधान में पुराने अग्रेंजी कानूनों को हटाकर एक मजबूत विश्वासपात्र कानून–व्यवस्था का निर्माण करे, ताकि भारत के नागरिकों का उचित ढंग से विकास हो सके, जिसमें:

1. **समान शिक्षा–** पूरे देश में लागू हो जिसका पाठ्यक्रम एक हो जिसे गरीब और अमीर के बच्चे बराबरी की शिक्षा ले सकें।
2. **समान न्याय व्यवस्था–** सभी भारतीय नागरिकों को सस्ते दर पर उचित न्याय की व्यवस्था उपलब्ध हो जो कम से कम समय उन्हें न्यायालय से न्याय प्राप्त हो सके।
3. **सुरक्षा व्यवस्था और मौलिक अधिकारों की रक्षा–** भारत सरकार को चाहिए की भारत के सभी नागरिकों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाय चाहे वह निर्धन व्यक्ति हो अथवा धनी व्यक्ति और स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से उनके एक समान व्यवस्था से मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाय।
4. **रोजगार व्यवस्था–** भारत सरकार को चाहिए की अपने देश के नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार–व्यवस्था प्रदान करे नहीं तो बेरोजगार नौजवानों में असंतोष की भावना पैदा हो जाएगी परिणामस्वरूप– उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद इसी दशा का ही परिणाम है।
5. **भ्रष्टाचार की समस्या–** भारत सरकार एक ऐसे कठोर सशक्त कानून का निमार्ण करे ताकि भारत में प्रतीदिन लाखों भ्रष्टाचार पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त हैं।
6. **आर्थिक शोषण–** आज भारत में पूँजीपतियों द्वारा रोजी–रोटी व मजदूरी के क्षेत्र में बुरी तरह से मजदूरों व किसानों तथा गरीब आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है।

**सामान्यीकरण–** एक अच्छे प्रजातन्त्र के लिए समाज कल्याण की आवश्यकता है, जो समानता, न्याय और कमजोर वर्गो के संरक्षण पर केन्द्रित हो बहुविधान के स्थान पर संविधान लागू होना चाहिए माना कि भारत के जनता के लिए समान आधिकार, समान शिक्षा– व्यवस्था, और उचित न्याय व्यवस्था जो मौके पर आवश्यकतानुसार समय के साथ प्रदर्शित हो और जिसमें समय की प्रतिबद्धता हो अगर भारत के संविधान में पुराने अग्रेजों के समय के कानून समाज–कल्याण और न्याय–व्यवस्था भारत के विकास में बाधा पैदा करते, तो उनको संसदिय प्रस्तावों के माध्यम से बदल देना चाहिए संसद में सामाजिक समस्याओं के निवारण पर चर्चा होनी चाहिए, न कि पक्ष– विपक्ष में अपने– अपने फेवर वोट– बैंक, जातिवाद, धर्मवाद, सम्प्रदायवाद की बात होनी चाहिए। भारत के प्रत्येक जनप्रतिनिधी की भावना पहले राष्ट्रवाद फिर जनतावाद के ऊपर होनी चाहिए, न कि व्यक्तिवाद पर यही जनत्रंत्र का रूप होना चाहीए।

आज भारत को ऐसे नये कानून की जरूरत है जो भारत में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करके एक सच्चे प्रजातन्त्र की स्थापना कर सके। इसी सन्दर्भ में अन्ना हजारे (Anaa Hazare) आधुनिक भारत में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जन आन्दोलन (2010–2011) के दौरान किया और देश में मजबूत लोकपाल (Jan-Lokpal) कानून लागू करने और भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा देने की वकालत की है।[5]

ब्रिटिश काल के कई औपनिवेशिक कानून आधुनिक भारत में नागरिकों के मुलभूत अधिकारों (Fundamental Rights) विशेष रूप से स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन कर रहें है। इन कानूनों का मुख्य प्रभाव आपराधिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र में देखने को मिलते है जैसे– आपराधिक न्याय में देरी, पुलिस व्यवस्था में हीलाहवाली, आभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निजता और गिरफ्तारी में इस तरह के कानून एक मकड़जाल की तरह है, इसलिए जनता के सामने संघर्ष की समस्या और भ्रष्टाचार करने के लिए जगह दिलाते है।

नये भारत के लिए नये कानून की आवश्यकता है, जो समय–प्रतिबद्ध न्याय–व्यवस्था, एक सशक्त सुरक्षा व्यवस्था, योग्यता और शारिरिक क्षमता के अनुसार रोजगार की व्यवस्था, आर्थिक शोषण की समस्या को रोकने की व्यवस्था, समान शिक्षा की व्यवस्था, मौलिक अधिकारों की रक्षा आदि ऐसी ही सामाजिक चुनौतियां है जो भारत को अन्दर से विघटित कर रही है।

**निष्कर्ष–** आधुनिक भारत में सामाजिक समस्याओं का नियन्त्रण एवं निवारण नहीं हो पा रहा है। भारत का पुराना कानून जो अग्रेजों द्वारा बनाया गया है, इससे भारत के आम जनता को समय पर न्याय, दण्ड, सुरक्षा, समान–शिक्षा, रोजगार, आर्थिक शोषण, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से रोज गुजरना पड़ रहा है। करोड़ों जनता मानसिक टेंशन में जी रही है। इस लचीले कानून ने इतने बड़े भ्रष्टाचार को जन्म दिया है कि सामान्य वर्ग के परिवारों की आजादी छीन गयी है। गरीबों एवं मध्यम वर्ग की जनता के साथ गुण्डों दबंगों एवं पूँजीपतियों द्वारा उनकी जमीनों पर अबैध कब्जे, झूठी गवाही, झूठे मुकदमें, भ्रष्ट न्याय–व्यवस्था, मुकदमें का कोर्ट में लंबित रहना, तारीख पर तारिख का मिलना, बाजारों की वस्तुएं में मिलावट खोरी, शिक्षा का व्यवसायीकरण, राजनीति का व्यवसायीकरण करण यहाँ तक की धर्म का व्यवसायीकरण से जनता का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है। भारत के नागरिकों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं रह गया है। केवल व्यक्तिवाद की भावना बढ़ती जा रही है। इसका सीधा कारण पुराना लचिला कानून ही है, जो भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राजरिषि– अर्थशास्त अध्याय– 19.
2. ''द क्राइसिस ऑफ आवर एज 1941–P–17).
3. हिन्द स्वराज और इण्डिया होमरूल– 1909.
4. ''व्हाइट कॉलर क्राइम'' (white Collar Crime) 1949.
5. मेरा– सपना, मेरा गॉव और अपना स्वराज (2010–2011).

*****